

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।
 क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/प-156/2019/ 503 दिनांक 30/9/19

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
 राजस्थान।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक: प25 (9) चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए शेष रहे 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी / पीएचसी / ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें—

क्र. सं.	CMHO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह	म0न0 43 वार्ड नम्बर 38, ज्योति नगर-। नियर एसएसबी रोड तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	डॉ० विक्रम सिंह पुत्र श्री सजय कुमार लील	लीला की ढाणी, थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ (चूरु)	डॉ० नीलम धामाई पुत्री श्री सम्पत सिंह धोभाई	सी-48 सेक्टर 1 सैनिक कॉलोनी, आँखो के अस्पताल के पीछे चूरु
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर	डॉ० महेश कुमार तवर पुत्र श्री मन्तराम तवर	ग्राम व पोस्ट बीसासर तहसील सेडवा जिला बाडमेर
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ (चूरु)	डॉ० कृतिका जाखड पुत्री श्री महेन्द्र कुमार जाखड	रोडवेज बस डिपो के पीछे वार्ड नं. 19, सरदारशहर जिला चूरु
6	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	डॉ० रविकान्त परालिया पुत्र श्री कृष्ण गोपाल	ग्राम काकरा पोस्ट अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा

7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड	डॉ० प्रिया चतुर्वेदी पुत्री श्री अशोक चतुर्वेदी	द्वारा मनीष चतुर्वेदी जीतमल का चौक, झालावाड
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	डॉ० रवि कुमार रोजडीया पुत्र श्री रघुवीर सिंह रोजडीया	ढाणी कुशलपुरा वाया/पोस्ट मावण्डा खूद तहसील नीमकाथाना सीकर
9	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर	डॉ० सागर गगवानी पुत्र श्री वासुदेव	मनिष मेडिकल स्टोर सिणधरी चासीरा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/प-156/2019/ 503

दिनांक 30/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- 3 निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
- 4 सबधित छात्र/छात्रा को पालनार्थ।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावे।
- 6 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।